टी0ए0 मिस केस सं0 120/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
2/08/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रेगा देवगम, पिता— स्व0 बिरसा देवगम, ग्राम— पताहातु, थाना— मुफस्सिल, जिला— पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा— लुपुगुंटू, थाना— 645, खाता नं०— 27, प्लॉट नं०— 2478, रकबा— 0.10 एकड़ भूमि क्रेता टाटा हेम्ब्रम, पिता— श्री बुधन सिंह हेम्ब्रम, ग्राम— बनामगुटू, थाना— मुफस्सिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक— 527,दिनांक—. 30.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू—खण्ड को क्रेता टाटा हेम्ब्रम, पिता— श्री बुधन सिंह हेम्ब्रम, ग्राम—बनामगुटू, थाना— मुफ्फसिल, के पास 3,10,000.00/—(तीन लाख दस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू—सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक रेगा देवगम, पिता— बिरसा देवगम ग्राम— पताहातु, क्रेता टाटा हेम्ब्रम, पिता— बुधन सिंह हेम्ब्रम, ग्राम—बनामगुटू, थाना— मुफ्फसिल के पास 3,10,000.00/—(तीन लाख दस हजार) रूपये मे मौजा—लुपुगुंटू, थाना— 645, खाता नं०— 27, प्लॉट नं०— 2478, रकबा— 0.10 एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति ......दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 2/8 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 2/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

//D:/Niraj All Work://1 TA MISS ORDER

608

Scanned with CamScanner